न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 55 / 2021

महाबीर सिंह पुत्र गोपाल, जाति जाट, निवासी केहरपुरा कलां, तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, चिडावा, जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट

––

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपील खिलाफ निर्णय दिनाक 13.08.2021 बअदालत नायब तहसीलदार, चिडावा, जिला झुंझुनूं मुकदमा उनवानी सरकार बनाम गोपाल, मु. नं. 292 / 2012 अ0धा0 91 एल0आर0 एक्ट 1956

––

उपस्थित :–

1. श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट – अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 20.09.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 13.08.2012 के विरूद्व पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रा0प0 अ0धा0 96 जाप्ता दीवानी पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 एवं प्रा0प0 अ0धा0 96 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है।अपील अपीलान्ट के अनुसार ख0न0 469 / 186 रकबा 0.95 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ सरहद राजस्व ग्राम केहरपुरा कलां तहत तहसील चिडावा में स्थित है। उक्त जमीन मे से 1000 वर्गमीटर जमीन पर अपीलान्ट के पिता गोपाल पुत्र चन्द्राराम द्वारा तथाकथित रूप से पुख्ता मकान व बाडा बनाकर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट के पिता गोपाल के विरूद्व अदालत मातहत ने धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही अमल में लाई जाकर बेदखल किये जाने एवं लगान के 50 गुणा तावान राशि 38 रूपये पेनल्टी कायम किये जाने का निर्णय दिनांक 13.08.2021 को पारित किया जिस आलौच्य निर्णय के विरूद्व मौजूदा अपील निम्न आधारों पर पेश है:– अदालत मातहत द्वारा पारित अलौच्य निर्णय दिनांकित 13.08.2021 खिलाफ कानून, न्याय एवं पत्रावली है। मौजूदा प्रकरण मे धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते है। जमीन ख0न0 101 / 230 ग्राम केहरपुरा कलां में से 3 बीघा 4 बिश्वा जमीन को जिला कलक्टर झुंझुनूं ने ग्राम पंचायत केहरपुरा कलां हेतु आबादी विस्तार हेतु आवंटित की थी जिसमें से ग्राम पंचायत केहरपुरा कलां ने दिनांक 15.10.1986 को 35 गजX 15 गज= 525 वर्गगज जमीन का पट्टा अपीलान्ट के हक में जारी किया है। इस प्रकार अपीलान्ट

छाया प्रति प्रमाणित

के पिता ने जहां मकान बनाये है तथा बाडा बनाया है वह जगह आबादी भूमि है तथा अपीलान्ट के पट्टेशुदा है। कानून से आबादी भूमि की जमीन मे धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नही होते। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत ख0न0 101/230 के हाल ख0न0 186 रकबा 1.76 हैक्टर बने। ख0न0 469/186 रकबा 0.95 हैक्टर, ख0न0 186 से ही बना है। जमीन ख0न0 186 रकबा 0.81 हैक्टर ग्राम केहरपुरा के बाबत ग्राम पंचायत केहरपुरा कलां ने नेमीचन्द पुत्र सुखदेवाराम, जाति जाट, निवासी केहरपुरा कलां के हक मे दिनांक 05.02.1988 को 1000 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया। उक्त नेमीचन्द के विरूद्व मु0न0 698/1997 की धारा 91 एल आर एक्ट 1956 की कार्यवाही चली जो आबादी भूमि होने के कारण दिनांक 19.06.1998 को धारा 91 एल आर एक्ट 1956 की कार्यवाही ड्रोप की गई। इस प्रकार मौजूदा प्रकरण में उक्त नेमीचन्द के प्रकरण के प्रावधान लागू होते है। जिस जगह के लिए अपीलान्ट के पिता के विरूद्व धारा 91 राज0 लै0 रे0 एक्ट की कार्यवाही कर आलौच्य निर्णय पारित किया वह अपीलान्ट की पट्टेशुदा जमीन है। इस कारण अदालत मातहत के समक्ष अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर देना चाहिए था। इस कारण अपीलान्ट आलौच्य निर्णय से प्रभावित है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के पिता गोपाल द्वारा प्रस्तुत जबाब देही को नजर अन्दाज किया है। अपीलान्ट के पिता गोपालराम का दिनांक 31.01.2013 को देहान्त हो चुका है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार चिडावा द्वारा पारित आलौच्य निर्णय दिनांक 17.08.2012 खारिज किया जाकर धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही ड्रोप की जावे।

बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि जमीन ख0न0 101/230 ग्राम केहरपुरा कलां में से 3 बीघा 4 बिश्वा जमीन को जिला कलक्टर झुंझुनूं ने ग्राम पंचायत केहरपुरा कलां हेतु आबादी विस्तार हेतु आंवटित की थी जिसमें से ग्राम पंचायत केहरपुरा कलां ने दिनांक 15.10.1986 को 35 गजX 15 गज= 525 वर्गगज जमीन का पट्टा अपीलान्ट के हक में जारी किया है। इस प्रकार अपीलान्ट के पिता ने जहां मकान बनाये है तथा बाडा बनाया है वह जगह आबादी भूमि है तथा अपीलान्ट के पट्टेशुदा है। कानून से आबादी भूमि की जमीन मे धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नही होते। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत ख0न0 101/230 के हाल ख0न0 186 रकबा 1.76 हैक्टर बने। ख0न0 469/186 रकबा 0.95 हैक्टर, ख0न0 186 से ही बना है। जमीन ख0न0 186 रकबा 0.81 हैक्टर ग्राम केहरपुरा के बाबत ग्राम पंचायत केहरपुरा कलां ने नेमीचन्द पुत्र सुखदेवाराम, जाति जाट, निवासी केहरपुरा कलां के हक मे दिनांक 05.02.1988 को 1000 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया। उक्त नेमीचन्द के विरूद्व मु0न0 698/1997 की धारा 91 एल आर एक्ट 1956 की कार्यवाही चली जो आबादी भूमि होने के कारण दिनांक 19.06.1998 को धारा 91 एल आर एक्ट 1956 की कार्यवाही ड्रोप की गई। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के पिता की जबाब देही को नजरअन्दाज कर आदेश पारित किया है। अपीलान्ट पट्टे शुदा भूमि पर काबिज है। जिसकी जांच अदालत मातहत द्वारा नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत को निर्देश दिया जावें की वह पट्टे की पुनः जांच कर आदेश पारित करें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि पर पुख्ता मकान तथा बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है, जिसका उसको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार आदेश पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट द्वारा निराधार तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

छाया प्रति प्रमाणित

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस वकील पक्षाकारान पर बगौर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम केहरपुरा कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 469/186 रकबा 0.95 हैक्टयर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ में से 1000 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमी माना है। प्रकरण में अहम बिन्दु इस प्रकार से है यथा :-

1. अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा ग्राम पंचायत को केहरपुरा कलां को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। उक्त आबादी हेतु आवंटित भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.10.1986 को 525 वर्गगज का पट्टा अपीलान्ट के पिता नाम से जारी किया गया था। अपीलान्ट पट्टे शुदा भूमि पर काबिज है। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट के पिता का विवादित भूमि पर 1000 वर्गमीटर का अतिक्रमी माना है, जो अपीलान्ट द्वारा बताये जा रहे पट्टे से अधिक है। अदालत मातहत द्वारा गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि से बेदखली के आदेश पारित किये है। अतः अपीलान्ट का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि वह आबादी हेतु आवंटित भूमि पर काबिज है।
2. विवादित भूमि की किस्म गै.मु. जोहड है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस.एल.पी.सी सं. 3109/2011 जगपाल सिह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के निर्णय दिनांक 20.08.2004 के अनुसार प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि पर किसी निजी व्यक्ति द्वारा किये गये कब्जे को वैध नहीं माना जा सकता है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्य नजर अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत मय आदेश की प्रति के प्रेषित हो। अदालत मातहत अपने निर्णय अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
20/09/21
(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,झुंझुनू

छाया प्रति प्रमाणित
कार्यालय अधीक्षक
कलेक्ट्रेट,झुन्झुनूं